डिजिटल अरेस्ट गिरोह पर बड़ा प्रहार

80 से अधिक ठिकानों पर कार्रवाई, दो गिरफ्तार

16 राज्यों में 80 से अधिक ठिकानों पर मारे छापे, दो गिरफ्तार

नई दिल्ली, 25 जून. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को डिजिटल अरेस्ट के जरिए धोखाधड़ी करने वाले साइबर अपराधियों के नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन चक्र-छह के तहत 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर एक साथ छापेमारी की.

इस कार्रवाई के दौरान चेन्नई और कोलकाता से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान बी नरेश और संजीब साहा के रूप में हुई है. इस अभियान के लिए सीबीआई ने 60 विशेष टीमों का गठन किया था. इन टीमों ने पंजाब, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, कर्नाटक और ओडिशा सहित देश के 16 राज्यों में फैले 80 से अधिक ठिकानों पर सघन तलाशी ली. सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह छापेमारी डिजिटल अरेस्ट से

जुड़े 200 से अधिक मामलों में संलिप्त एक बड़े आपराधिक नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए चल रही जांच के हिस्से के रूप में की गई है. गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्तियों पर फर्जी कंपनियां बनाने और धोखाधड़ी के लिए बैंक खाते खोलने तथा उन्हें संचालित करने का आरोप है.

सीबीआई ने आधुनिक तकनीकी उपकरणों की मदद ली

आधुनिक तकनीकी उपकरणों की मदद से सीबीआई ने देश और विदेश में चल रहे इस आपराधिक नेटवर्क के मुख्य स्रोतों की पहचान की. जांच में सामने आया है कि ये अपराधी अपनी धोखाधड़ी को असली दिखाने के लिए अदालतों और विभिन्न जांच एजेंसियों के नाम पर फर्जी और जाली दस्तावेज और आदेश पत्र अपलोड करते थे. छापेमारी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, मोबाइल फोन और बैंक लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं. अधिकारी ने बताया, इन सभी सामग्रियों की विस्तृत जांच की जा रही है.

अधिकारी ने कहा, इन बैंक खातों का उपयोग कथित तौर पर अपराध से कमाई गई लगभग दो करोड़ रुपये की संदिग्ध राशि को ठिकाने लगाने (मनी लॉन्ड्रिंग) के लिए किया जा रहा था.

सीबीआई ने हाल ही में एक ऐसी धोखाधड़ी वाली वेबसाइट का पता लगाया था, जिसका पता (यूआरएल) उच्चतम न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से काफी मिलता-जुलता था. इन जालसाजों ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों को ठगने के लिए इस फर्जी वेबसाइट का इस्तेमाल किया था.

अमेरिकी सीनेट में ट्रंप की बड़ी जीत

- ईरान पर सैन्य अधिकार नहीं होंगे सीमित
- 50-47 मतों से प्रस्ताव खारिज, रिपब्लिकन को बढ़त

वॉशिंगटन, 25 जून. वॉशिंगटन में अमेरिकी सीनेट ने एक अहम मतदान में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई से जुड़े अधिकारों को सीमित करने वाले प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। यह प्रस्ताव 47 मतों के मुकाबले 50 मतों से असफल हो गया, जिसे ट्रंप प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है।

यह प्रस्ताव डेमोक्रेटिक सीनेटर टिम केन द्वारा पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि राष्ट्रपति किसी भी संभावित सैन्य कार्रवाई से पहले कांग्रेस की अनुमति लें। हालांकि मतदान में इसे अपेक्षित समर्थन नहीं मिल सका। रिपब्लिकन पार्टी के अधिकांश सांसदों ने प्रस्ताव का विरोध किया, जबकि रिपब्लिकन सीनेटर सुसान कॉलिन्स और लिसा मर्कोव्स्की ने डेमोक्रेट्स के पक्ष में मतदान किया. वहीं रैंड पॉल ने मतदान से दूरी बनाए रखी। प्रस्ताव के समर्थन में डेमोक्रेट्स के साथ कुछ अन्य सांसद भी शामिल थे, लेकिन बहुमत हासिल नहीं हो सका. जॉन फेटरमैन जैसे कुछ डेमोक्रेट्स ने भी प्रस्ताव का विरोध किया, जिससे समीकरण और कमजोर हो गया. यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता, तो राष्ट्रपति को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी अनिवार्य हो जाती, हालांकि व्हाइट हाउस ने पहले ही संकेत दिया था कि ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति इसे वीटो कर सकते हैं.

दोनों देशों के बीच युद्धविराम समझौता प्रभावी

व्हाइट हाउस ने तर्क दिया कि वर्तमान में अमेरिका और ईरान के बीच किसी सक्रिय सैन्य संघर्ष की स्थिति नहीं है और दोनों देशों के बीच युद्धविराम समझौता प्रभावी है। प्रशासन ने 1973 के वॉर पावर्स रिजोल्यूशन की संवैधानिक वैधता पर भी सवाल उठाए हैं. मतदान के बाद पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इसे अपनी विदेश नीति की सफलता बताते हुए कहा कि यह फैसला ईरान के लिए स्पष्ट संदेश है। घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंधों को लेकर बातचीत का नया दौर शुरू होने की संभावना जताई जा रही है।

आज का इतिहास

- 1498 चीन में पहला टूथ ब्रश बनाया गया. आधुनिक टूथ ब्रश के पहले मॉडल को चीन के राजा ने पेटेंट कराया था.
- 1714 स्पेन और नीदरलैंड ने व्यापार एवं शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए.
- 1906 फ्रांस में पहली ग्रां प्रिक्स मोटर रेस का आयोजन हुआ.
- 1945 सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों ने संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए.

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
CENTRAL TO YOU SINCE 1911

क्षेत्रीय कार्यालय: प्लाट नं. 160-161, पीयू-4, सी-21 माल के पीछे, स्कीम नं. 54, ए.बी. रोड, इन्दौर

ई-निविदा सूचना
इंटीरियर एवं इलेक्ट्रिकल कार्य

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर, गवली पलासिया शाखा के इंटीरियर एवं इलेक्ट्रिकल कार्य हेतु योग्य ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदा आमंत्रित करता है। **आवेदन करने की अंतिम तिथि 16.07.2026 है।** अधिक जानकारी के लिए **https://centralbank.abcprocure.com** और **www.centralbank.bank.in** देखें।

क्षेत्रीय प्रमुख, इन्दौर

स्वदेशी अवाक्स प्रणाली नेत्र को मिली अंतिम मंजूरी

नयी दिल्ली 25 जून. वायु सेना को स्वदेशी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम (अवाक्स) प्रणाली नेत्र का अंतिम संचालन मंजूरी प्रमाणपत्र मिल गया है. यह प्रमाण पत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने दिया है.

रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि इस स्वदेशी प्रणाली को वायु सेना, डीआरडीओ और संबद्ध उद्योगों के घनिष्ठ सहयोग से विकसित किया गया है, ताकि हवाई निगरानी, परिस्थितिजन्य जागरूकता तथा युद्ध प्रबंधन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सके.

यह प्रणाली उन्नत एयरोस्पेस एवं रक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की यात्रा की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है. इसे प्रारम्भिक संचालन मंजूरी वर्ष 2017 में प्रदान की गयी थी. यह समारोह 25 जून को कर्नाटक के बेंगलुरु में वायु स्टाफ के उप प्रमुख एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती की अध्यक्षता में आयोजित किया गया. इस अवसर पर पूर्व वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया (सेवानिवृत्त), डीआरडीओ के पूर्व अध्यक्ष डॉ. एस. क्रिस्टोफर, वायु सेना के सेवारत एवं सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी, उत्कृष्ट वैज्ञानिक एवं वायुजनित प्रणाली केंद्र (सीएबीएस) की निदेशक पी. सन्ध्या, उत्कृष्ट वैज्ञानिक एवं मुख्य कार्यकारी (उड़ान योग्यता) एपीवीएस प्रसाद, वैज्ञानिक जी एवं नेत्र एफओसी प्रमुख एएस कुमारन, डीआरडीओ के अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा उद्योग साझेदार उपस्थित थे.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

परिशिष्ट IV [नियम 8 (1)] कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जहाँ अधोहस्ताक्षरी, जो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ विलयित) के अधिकृत अधिकारी हैं, ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित, दिनांक 25.05.2024 को एक मांग नोटिस जारी किया था, जिसके द्वारा उधारकर्ता, सह-उधारकताओं एवं गारंटरों 1. राम सिंह, 2. सीमा बाई गलगाच को नोटिस में उल्लिखित राशि रू. 5,08,931.13/- (पाँच लाख आठ हजार नौ सौ इकतीस और तेरह पैसे मात्र) जो कि दिनांक 24.05.2024 तक देय थी, उक्त मांग नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था।

उधारकताओं द्वारा उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहने के कारण, उधारकर्ता तथा आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित, नीचे वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा दिनांक 24 जून 2026 को अपने अधीन ले लिया है।

उधारकताओं तथा आम जनता को विशेष रूप से सावधान किया जाता है कि वे उक्त संपत्ति के संबंध में कोई लेन-देन न करें तथा संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ विलयित) के रू. 5,08,931.13/- (पाँच लाख आठ हजार नौ सौ इकतीस और तेरह पैसे मात्र) तथा उस पर देय ब्याज के प्रभार के अधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों के मोचन हेतु उपलब्ध समय से संबंधित हैं।

अचल संपत्तियों का विवरण

वह पूरा बना हुआ घर (प्लॉट और उस पर बनी इमारत) जिसका विवरण इस प्रकार है: घर नंबर 56/2, सर्वे नंबर 316, वार्ड नंबर 02, पीएच नं. 10, कुल क्षेत्रफल 1092 वर्ग फुट, ग्राम बागवाड़ा, ग्राम पंचायत बागवाड़ा गुर्जर, तहसील मकडोन, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश-456668; और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व: सीताराम का घर, पश्चिम: नानूराम का घर, उत्तर: माडू जी का घर, दक्षिण: आम रास्ता।

दिनांक: 24.06.2026
स्थान: मध्यप्रदेश
ऋण खाता संख्या: 79079357

प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)

MADHYA PRADESH JAL NIGAM

(A Govt. of Madhya Pradesh Undertaking)
8, Arera Hills, Bhopal - 462004, Web. : mpjalnigam.mp.gov.in
E-mail : mpjalnigam@mp.gov.in, CIN : U41000MP2012SGC028798
NIT No. : 04-07/Proc./MPJNM/2026-27 Bhopal, Dated : 23.06.2026

NOTICE INVITING E-TENDER

Madhya Pradesh Jal Nigam (MPJN) invited online bids of Tender for Engaging PIU-Wise Unified Agency for Supervision and Quality Control (SQC) and Third-Party Inspection (TPI) for Multi-Village Drinking Water Supply Schemes (MVDWSS) of Madhya Pradesh Jal Nigam on man-month basis through Quality and Cost Based Selection (QCBS) method.

NIT No.	Zone	PIU	Total Villages	PAC (Rs. Cr.)	Duration (Months)	EMD (Rs. Lakh)	Document Fee (Rs.)
04	Indore	Jhabua	1357	11.34	24	10.00	30,000
05	Rewa	Satna	1984	10.23	24	10.00	30,000
06	Gwalior	Gwalior	609	7.69	24	7.69	20,000
07	Jabalpur	Mandla	893	7.44	24	7.44	20,000

Interested bidders can view/download/purchase the bid document online from M.P. Government E-Procurement Portal from **30.06.2026, 17:30 Hrs.** Bidding process dates mentioned as critical dates on M.P. Government E-Procurement Portal will be applicable. Corrigendum/Addendum in NIT, if any, would be published on portal only and not in newspapers.

M.P. Government E-Procurement Portal - https://mptenders.gov.in

M.P. Madhyam/126584/2026 **MANAGING DIRECTOR**

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

Aadhar Housing Finance Ltd

कार्पोरेट कार्यालय :ऑफिस नं. 501 एवं 503, पाँचवी मंजिल, लाइटब्रिज, साकी विहार रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई सुबुरबन (जिला), महाराष्ट्र-400072
इंदौर शाखा: प्लॉटनंबर 4 एवं 5, शॉपनंबर 105, 107, 109, प्रथम मंजिल, शेखर सेंट्रल, पलासिया चौराहा, मनोरमागंज, ए.बी. रोड, इंदौर, म.प्र.-452001
इन्दौर विजय नगर शाखा: ऑफिस नं. 111 एवं 112, प्रथम मंजिल, बेंचमार्क बिजनेस पार्क, प्लॉट नं. ए-3, आईडीए-स्कीम नं. 54, पी.यू. 04, सत्य सांई चौराहा, विजय नगर, इन्दौर-452010

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट 4 (अचल संपत्ति हेतू)

जबकी, **आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL)** के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरीटाइजेशन एंड रिकंस्टक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंटस्ट (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ सपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के **60 दिवस** में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओ/ प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ताराशि का पूर्नभुगतान करने में असफल रहे है, सिक्युरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ सपठित उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओ)/ प्रतिभूतिकर्ता(ओ) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिगृहण कर लिया है। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

क्रं.	ऋणकर्ता(ओ)/प्रतिभूतिकर्ता (ओ)(शाखा का नाम)	धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य का दिनांक
1	(लोन कोड नं. 00310001867/ इंदौर शाखा) अमित (ऋणी) पिंकी अमित (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, सर्वे नंबर 56/3, प.ह. नंबर 59/117, प्लॉट नंबर 48, वार्ड नंबर 28, तहसील पोथमपुर, जिला धार, मध्य प्रदेश 454775 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व - प्लॉट नंबर 66, पश्चिम - सड़क, उत्तर - प्लॉट नंबर 47, दक्षिण - प्लॉट नंबर 49.	14-04-2026 & ₹ 12,82,112/-	24-06-2026
2	(लोन कोड नं. 35310001004/ इंदौर विजय नगर शाखा) ममता काग (ऋणी) पवन काग (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, जीएफ एफएफ मकान नंबर 472, लाभम पार्क-2, कैट रोड के अंदर, रंगवासा, इंदौर, म. प्र. 453331 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व - कॉलोनी की सड़क, पश्चिम - प्लॉट नं. 469, उत्तर - प्लॉट नं. 473, दक्षिण - प्लॉट नं. 471.	14-04-2026 & ₹ 36,21,990/-	24-06-2026

स्थान : मध्य प्रदेश
दिनांक : 26.06.2026

प्राधिकृत अधिकारी
आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड (सुरक्षित और असुरक्षित ऋण व्यवसाय प्रभाग)

muthoot FINCORP Jab zindagi badalni ho

(मुथूट पप्पाचन समूह की कंपनी) CIN : U65929KL1997PLCO11518
प्रशासनिक कार्यालय : 710-ए एवं 711-ए, सातवीं मंजिल, फेस-2, स्पेंसर प्लाजा, माउंट रोड़, अन्ना सलाई, चेन्नई-600 002
पंजीकृत कार्यालय : मुथूट सेन्टर, टीसी नं. 27/3022, पुन्नेन रोड़, त्रिवेन्द्रम, केरला - 695 001

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्ननिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अधीन

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने, **मुथूट फिनकार्प लिमिटेड (एमएफएल)** के प्राधिकृत अधिकारी के रुप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनःनिर्माण तथा प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन मांग सूचनाएं जारी की थी, जिनमें निम्नलिखित कर्जदार(रों), ग्यारंटर(रों) से संपूर्ण बकाया राशि, अद्यतन ब्याज, लागत और प्रभारों के साथ, उनको जारी की गई संबंधित मांग सूचना(ओं) और वैकल्पिक तामील के लिए नीचे दिए अनुसार सूचना प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने हेतू, कम्पनी के प्रति उनकी पूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन की मांग की गई थी। उक्त कर्जदार(रों), सह-कर्जदार(रों) द्वारा ऋण की सम्यक वापसी के लिए प्रतिभूमि के रुप में क्रमशः निम्नलिखित आस्तियां **एमएफएल** के पास बंधक रखी गई है।

क्रं.	ऋणी/सह-ऋणी/ जमानतदार का नाम	मांग सूचना कि तिथि / एनपीए तिथि	कुल बकाया राशि	सुरक्षित संपत्ति(यों)/अचल सम्पत्ति (यों) का विवरण
1	**ऋण खाता नं. MFLMPDSECUL000005096351** **1. श्री विनोद असोलिया पिता श्री सत्यनारायण असोलिया (ऋणी) पता:** 58, वार्ड नं. 15, न्यू लोधी मोहल्ला, धार, मध्य प्रदेश-454775 **2. सीमा बाई पति विनोद असोलिया (सह-ऋणी) पता:** वार्ड नं. 14, न्यू लोधी मोहल्ला, पोथमपुर, जिला धार, म.प्र. 454775 **संपत्ति का पता:** संपत्ति एक आवासीय मकान है, जो वार्ड नं. 15, सरल लैंडमार्क, निकट माँ लक्ष्मी मंदिर, संपत्ति क्रमांक 610, न्यू लोधी मोहल्ला, पोथमपुर, तहसील पोथमपुर, जिला धार, म.प्र.-454774	08-06-2026 / 03-06-2026	**Rs. 25,28,272.46/-** रुपये पच्चीस लाख अट्ठाईस हजार दो सौ बहत्तर और छियालीस पैसे मात्र) दिनांक 08.06.2026 तक	संपत्ति एक आवासीय मकान है, जो वार्ड नं. 15, सरल लैंडमार्क, माँ लक्ष्मी मंदिर के पास, क्रमांक 610, न्यू लोधी मोहल्ला, पोथमपुर, तहसील पोथमपुर, जिला धार, मध्य प्रदेश-454774 में स्थित है **क्षेत्रफल: 2100 वर्गफीट** **सीमाएं निम्नानुसार हैं:** उत्तर: सड़क दक्षिण: सुषपाल पथ आरिया का मकान पूर्व: योगेश असोलिया का मकान पश्चिम: राहुल पिता गोविंद का मकान
2	**ऋण खाता नं. MFLMPDSECUL000005107217** **अनिल भंडारी, पिता श्री रमेश (ऋणी)** **माया बाई, पति श्री रमेश (सह-ऋणी)** **दोनों निवासी:** मकान नं. 216, ग्राम अलारी, तहसील टोंकखुर्द, देवास, म.प्र.-455001 **संपत्ति का पता:** प.ह.नं. 03, सरल नं. 2225, मकान नं. 216, ग्राम अलारी, तहसील टोंकखुर्द, जिला देवास, मध्य प्रदेश-455001	08-06-2026 / 03-06-2026	**Rs. 35,43,051.00** रुपये पैंतीस लाख तैंतालीस हजार इक्यावन मात्र) दिनांक 08.06.2026 तक	समस्त भू-भाग एवं संपत्ति जिसका विवरण निम्नानुसार है: मकान नं. 216, पी.एच. नं. 03 (सरल नं. 2225), ग्राम अलारी, तहसील टोंकखुर्द, जिला देवास, मध्य प्रदेश **कुल क्षेत्रफल: 885 वर्गफीट** **सीमाएं:** पूर्व: सड़क, पश्चिम: चैन सिंह का मकान, उत्तर: सड.क, दक्षिण: जितेंद्र जी का मकान
3	**ऋण खाता नं. MFLSECUMPDL000005505447** **देवेंद्र ठाकुर पिता श्री दिलीप ठाकुर (ऋणी)** 850: दिलीप ठाकुर, ग्राम यशवंत नगर-8, यशवंत नगर, पोस्ट ऑफिस इंदौर, म. प्र.- 453661 **पूजा ठाकुर (सह-ऋणी),** देवेंद्र ठाकुर, यशवंत नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश-453661 **संपत्ति का पता:** संपत्ति राम मंदिर के पास, खटखट मोहल्ला, ग्राम यशवंत नगर, तहसील महू, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश-453661	08-06-2026 / 03-06-2026	**Rs.23,33,810.10/-** रुपये तेईस लाख तैंतीस हजार आठ सौ दस और दस पैसे मात्र) दिनांक 08.06.2026 तक	संपत्ति मकान नं. 31, राम मंदिर के पास, खटखट मोहल्ला, ग्राम यशवंत नगर, पी.एच. नं. 16, तहसील महू, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश-453661 **क्षेत्रफल: 3870 वर्गफीट (359.66 वर्ग मीटर) उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, उक्त संपत्ति की सीमाएं निम्नानुसार हैं:** पूर्व: अनूप सिंह का मकान, पश्चिम: सड़क, उत्तर: एर गली, देवा सिंह का मकान, दक्षिण: सड.क

यदि उक्त कर्जदार, सह-कर्जदार एवं गारंटर **एमएफएल** को उपरोक्तनुसार भुगतान करने में विफल रहेगें, **एमएफएल** उपरोक्त वर्णित प्रतिभूत आस्ति का कब्जा लेने और कानून के अधीन कम्पनी को उपलब्ध अन्य कार्यवाहीं करने का हकदार होगी, जिसकी लागत और परिणामों की जोखिम के लिए उक्त कर्जदार पूर्ण रुपेण जिम्मेदार होंगे।
उक्त कर्जदार(रों), सह-कर्जदार(रों) पर सरफासी ऐक्ट की धारा 13 की उप-धारा (13) के प्रावधान के तहत, **एमएफएल** की पूर्व लिखित सहमति के बिना, उपरोक्त प्रतिभूति आस्ति(यों) का ब्रिकी, पट्टा या अन्य प्रकार से हस्तांरण करने के संबंध में रोक लगी है।

स्थान : मध्य प्रदेश, दिनांक : 26.06.2026

सही/- प्राधिकृत अधिकारी
फॉर - मुथूट फिनकार्प लिमिटेड

कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

CAPRI GLOBAL HOUSING FINANCE LIMITED

पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय 502, टॉवर-ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013, सर्कल ऑफिस पता - 9 बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली - 110060

मांग नोटिस

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के साथ पठित सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के तहत, अधोहस्ताक्षरी कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सीजीएचएफएल) का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के तहत अधिकृत अधिकारी है। उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के साथ पठित सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी किए हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) ("उक्त उधारकर्ता(ओं)") को संबंधित मांग नोटिसों में उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया है, जो नीचे भी दिए गए हैं। उपरोक्त के संबंध में, उक्त उधारकर्ता(ओं) को एक बार फिर सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर सीजीएचएफएल को नीचे दर्शाई गई राशि का भुगतान करें, साथ ही नीचे उल्लिखित तिथियों से भुगतान और/या वसूली की तिथि तक लागू ब्याज का भी भुगतान करें, जो उक्त उधारकर्ता(ओं) द्वारा निष्पादित ऋण समझौते और अन्य दस्तावेजों/लिखितों (यदि कोई हो) के तहत देय है। ऋण के उचित पुनर्भुगतान की सुरक्षा के रूप में, उक्त उधारकर्ता(ओं) द्वारा निम्नलिखित संपत्तियों को सीजीएचएफएल के पास गिरवी रखा गया है।

स. क्र.	उधारकर्ता (ओं)/ गारंटर (ओं) का नाम	मांग नोटिस की तिथि और राशि	सुरक्षित परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण
1.	(ऋण खाता संख्या LNHEIN4000055577 (पुराना) 50400000551144 (नया) LNHLIN4000051702 (पुराना) 50300000739361 (नया) (खंडवा ब्रांच) अखिलेश जायसवाल (उधारकर्ता) प्रीति जायसवाल, रीना जायसवाल, अभिषेक जायसवाल (सह-उधारकर्ता)	16.06.2026 रु. 30,40,644/- (01.06.2026 तक)	"यह प्रॉपर्टी 'राजकमल टॉवर' की छठी मंज़िल पर स्थित फ़्लैट नंबर 601 है, जो उद्योग नगर कॉलोनी, इंदौर (म.प्र.) में प्लॉट नंबर 7-A, 8-A, 18-A और 19-A पर बनी है। इसका सुपर बिल्ट-अप एरिया 1350 वर्ग फीट है (पता: इंदौर, मध्य प्रदेश, 452001)। प्रॉपर्टी की सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तर - उसी बिल्डिंग का बाकी हिस्सा, दक्षिण - सड़क, पूर्व - दूसरा प्लॉट, पश्चिम - फ़्लैट नंबर 602।"
2.	(ऋण खाता संख्या LNHLAGA000078695 (पुराना) 50300000618565 (नया) (आगर मालवा शाखा) दौलत सिंह सिसौदिया (उधारकर्ता) ललिता कुँवर, अरविंद सिंह सिसौदिया, कुलदीप सिंह सिसौदिया (सह-उधारकर्ता)	16.06.2026 रु. 6,07,458/- (01.06.2026 तक)	"वह पूरी प्रॉपर्टी जिसमें जमीन और बिल्डिंग शामिल है (घर नंबर 185, जमीन का एरिया 139.40 वर्ग मीटर), जो गाँव सेमलखेड़ी, पीएच नंबर 13, वार्ड नंबर 13, तहसील नलखेड़ा, ज़िला आगर मालवा, मध्य प्रदेश - 465447 में स्थित है, जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तर: श्री रोडालाल जी का घर, दक्षिण: श्री दलपत सिंह का घर, पूर्व: खुली जमीन, पश्चिम: आम रास्ता।"
3.	(ऋण खाता संख्या LNHEKG1000135047 (पुराना) 51100000562132 (नया) LNHLKG1000126348 (पुराना) 51200000787631 (नया) (खरगोन शाखा) राजेश भेरूलाल (उधारकर्ता) भेरूलाल पुत्र झामलाल, मोहनलाल पुत्र भेरूलाल, आरती कर्मा, मालजी भेरूलाल (सह-उधारकर्ता)	16.06.2026 रु. 27,55,389/- (01,06,2026 तक)	"वह पूरी प्रॉपर्टी जिसमें जमीन और बिल्डिंग शामिल है, जिसका विवरण इस प्रकार है: पीएच नंबर 25/27, वार्ड नंबर 01 इंदिरा नगर वार्ड, एरिया 1454 वर्ग फीट, गुलझरा, तहसील धर्मपुरी, ज़िला धार, मध्य प्रदेश, 454552। प्रॉपर्टी की सीमाएँ: उत्तर - बालुकाका का घर, दक्षिण - सड़क, पूर्व - जमीन, पश्चिम - जमीन।"
4.	(ऋण खाता संख्या LNHLJUB000131298 (पुराना) 51200000781280 (नया) (झाबुआ शाखा) विक्रम सिंह भिंडे (उधारकर्ता) राली भिंडे उपनाम श्रीमती राली भिंडे (सह-उधारकर्ता)	12.06.2026 रु. 11,37,901/- (01.06.2026 तक)	"वह पूरी संपत्ति जिसमें जमीन और इमारत शामिल है, जिसका जमीन का क्षेत्रफल 1000 वर्ग फीट (92.90 वर्ग मीटर) है; सर्वे नंबर 146 (पैकी), वार्ड नंबर 18, रानी सर्कल - 2, पटवारी हल्का नंबर 54/14, पटेल फलिया, दीपा की चौकी, ग्राम - बोरखाड, तहसील और ज़िला - अलीराजपुर, मध्य प्रदेश - 457887; जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तर: विक्रेता की बची हुई जमीन, दक्षिण: विक्रेता की बची हुई जमीन, पूर्व: 20 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम: नवल कुमार डावर का घर।"

यदि उक्त उधारकर्ता सीजीएचएफएल को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो सीजीएचएफएल अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेगा, जो पूरी तरह से उक्त उधारकताओं के लागत और परिणामों के जोखिम पर होगी। उक्त उधारकताओं को अधिनियम